महत्वपूर्ण

संख्या-03/2025/414/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।**
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक- 07 अप्रैल, 2025**

विषय- मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश दिनांक-03-04-2018 एवं 21-01-2021 का ("Shasanadesh.up.gov.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक "**जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर**" रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे कि मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पडे।

3- उक्त दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों/जनपदों के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधिगण के पत्रों को गम्भीरता से न लेकर उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा मा0 सदन एवं मा0 समितियों की बैठकों में मा0 सदस्यों द्वारा यह विषय उठाये जाने पर शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर में अंकित करते हुए पत्रों की पावती संबंधित मा0 सदस्य को प्रेषित करते हुए प्राप्त प्रकरण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सदस्य को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in